

## पीएमजेजेबीवाई के कार्यान्वयन हेतु नियमों में संशोधन <u>01 जुन, 2016 से प्रभावी</u>

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) के कार्यान्वयन में संशोधन की घोषणा की है. संशोधन निम्नान्सार हैं :

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत प्रीमियम नामे किए जाने की तारीख से बीमा कवर उपलब्ध है के लेकिन वर्तमान निर्देशों के अनुसार पंजीयन तारीख से प्रथम 45 दिनों के अंदर घटित मृत्यु के दावों का भुगतान नहीं किया जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि सदस्य द्वारा योजना के अधीन नामांकन तारीख से 45 दिन पूर्ण होने के पश्चात ही जोखिम कवर प्रारम्भ होगा लेकिन अपघात के कारण मृत्यु की स्थिति में 45 दिन ग्रहणाधिकार शर्त में छूट उपलब्ध है यह 1 जून, 2016 से लागू होगा तदनुसार उक्त संशोधनों को शामिल करने हेतु सहमित सह पंजीयन फॉर्म को संशोधित किया गया है जो 1 जून, 2016 से सभी नए सदस्यों के लिए लागू होगा संशोधित सहमित सह पंजीयन फॉर्म की पंजीयन फॉर्म की प्रति इसके साथ संलग्न है.

31 मई 2016

## Amendments in rules for implementation of PMJJBY With effect from 01<sup>st</sup> June, 2016

Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance has announced amendments in implementation of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). The amendments are as below:

As per the prevalent rules, insurance cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) starts from the day of debit of premium. However, now as per the recent directives, claims for <u>deaths which occur during the first 45 days from the date of enrolment will not be paid</u>, effectively meaning that the risk cover will commence only after the completion of 45 days from the date of enrolment into the scheme by the member. <u>However deaths due to accidents will be exempt from 45 days clause</u>. This shall come into force from 1<sup>st</sup> Jun 2016.

Accordingly, the consent cum enrollment form has been revised in order to incorporate the amendments, which would be applicable for all new enrollments w.e.f. 1<sup>st</sup> Jun 2016. A copy of the revised consent cum enrollment form is attached.